निष्कर्ष

डॉ. अम्बेडकर कहते थे कि ''मै किसी भी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाता हूँ कि, उस समाज के नारियों की कितनी प्रगति हूई हैं।'' उनकी दृष्टि में किसी भी समाज की उन्नति का मापदंड नारी हैं पुरुष नहीं। इसलिए डॉ. अम्बेडकर ने आदिवासी महिला को संविधान के तहत राजनीतिक भागीदारी के लिए आरक्षण दीया हैं। इस वजह से वर्धा और सेलू तहसील के राजनीति में आदिवासी महिलाओं की भागीदारी दीखती हैं।

प्रमुख निष्कर्ष :-

आदिवासी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी आरिक्षत सीटो तक ही सीमित हैं। आरक्षण की वजह से ही आदिवासी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी हैं। यह प्रस्तुत अध्ययन की परिकल्पना हैं। वर्धा और सेलू तहसील में आदिवासी महिलाओं की पंचायत स्तर का अध्ययन के अंत में इस निष्कर्ष तक पहुंचाई कि प्रस्तूत अध्ययन की परिकल्पना सत्य सिद्ध हूई हैं। आदिवासी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी कहा तक हैं इस संदर्भ निम्नांकित निष्कर्ष तक पहूचा हू।

आदिवासी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सिर्फ और सिर्फ आरक्षण तक ही सीमित हैं। अन्य प्रवर्ग की महिलाओं की तुलना में आदिवासी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी नगण्य हैं।

डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में महिलाओं को दीए गये समानता के अधिकार और लगभग आधी महिला मतदाता हैं फिर भी आदिवासी महिलाएँ आरक्षण की वजह से राजनीति में नजर आती हैं और उनके पिछे राजनीतिक निर्णय घर के पुरूष ही लेते हैं वह नाम मात्र रहती हैं। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय वह नहीं लेती हैं।

आदिवासी महिलाएँ अपने राजकीय अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, परंतु प्रत्यक्ष कृति में नहीं लाती हैं। क्यों की समाज में ये भावना हैं की राजनीति करने वाली महिलाएँ अच्छी नहीं

होती हैं समाज द्वारा उनके चरित्र पर लांछन लगाया जाता हैं, राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं को संघटन का कार्य करते समय पुरूषों के साथ भी संपर्क रखना पडता हैं, समाज में महिलाओं के प्रति देखने के दृष्टिकोण में बदलाव आता हैं।

आर्थिक उन्नति के कारण आदिवासी समुदाय के सामाजिक स्तर में सुधार नहीं होता। सामाजिक स्तर में सुधार के लिए सामाजिक संघर्षों एवं राजनीतिक शक्ति की जरूरत होती हैं। डॉ.अम्बेडकर के सामाजिक संघर्षों एवं उनके द्वारा किये गये कानूनी प्रावधानों के कारण आदिवासी समुदाय के सामाजिक स्तर में सुधार हुआ हैं।

आदिवासी महिलाओं पर घर परिवार की जिम्मेदारीयां ज्यादा होती हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इस तरह मजबूत नहीं होती कि वह राजनीति पर खर्चा कर सके।

समाज आज भी जातिवादी मानसिकता के कारण आदिवासीयों के प्रति लोगों में हीन भावना हैं। इस वजह से आदिवासी महिलाओं की पंचायत स्तर में राजनीतिक भागीदारी कम दीखती हैं। अगर आदिवासी महिलाएँ चुनाव में सामान्य क्षेत्र से चुनाव लड़ती हैं तो उसको गैर आदिवासी लोग वोट नहीं करते हैं। इस वजह से सामान्य क्षेत्र से वह चुनकर नही आती हैं।

पंचायत राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन से पूर्व आदिवासी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी नगण्य रही हैं। और डॉ. अम्बेडकर के प्रयासों से ही आज राजनीतिक क्षेत्रों में आदिवासी महिला की भागीदारी दीख रही हैं। परंतु वह आरक्षित सीटो तक ही सीमित हैं।

अत: डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक संघर्षों एवं उनके द्वारा किये गये कानूनी प्रावधानों के कारण आदिवासी महिलाओं के राजनीतिक सामाजिक स्तर में सुधार हुआ हैं।

सामान्य निष्कर्ष:-

1) आदिवासी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सिर्फ आरक्षण तक ही सीमित हैं।

2) अन्य प्रवर्ग की महिलाओं की तुलना में आदिवासी महिलाओं की राजनीतिक भागिदारी नगण्य हैं।

3) डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में महिलाओं को दीए गए समानता के अधिकार और लगभग आधी महिला मतदाता हैं फिर भी आदिवासी महिलाएँ आरक्षण की वजह से ही राजनीति में नजर आती हैं और उनके पीछे राजनीतिक निर्णय घर के पुरूष ही लेते हैं, वह नाम मात्र रहती हैं।

4) आदिवासी महिलाएँ अपने राजकीय अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, परंतु प्रत्यक्ष कृति नही लाती हैं।

5) आदिवासी महिलाओं पर घर परिवार की जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इस तरह मजबूत नहीं होती की वह राजनीति पर खर्चा कर सके।

6) समाज में आज भी जातिवादी मानसिकता हैं इस कारण सामान्य क्षेत्र से आदिवासी महिलाएँ सवर्ण महिलाओं की तुलना में बहूत कम संख्या में चूनकर आती हैं।

7) पंचायत राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में संविधान के 73वे और 74वें संशोधन से पूर्व आदिवासी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी नगण्य रही हैं।

8) डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक संघर्षों एवं उनके द्वारा किये गये कानूनी प्रावधानों के कारण आदिवासी महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक स्तर में सुधार हुआ हैं।